

दिनांक 20-21 अगस्त, 2018 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य-स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

**1. उपस्थिति:-संलग्न।**

समीक्षात्मक बैठक में सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भाग लेने एवं अनुपस्थिति की स्थिति में इसकी पूर्व सूचना अचूक रूप से निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया। अगली बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों के संबंधित तिथि का वेतन अवरुद्ध करने का निर्णय लिया गया।

**अनुपालन:- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां० पदा०**

2. पिछले समीक्षात्मक बैठक के कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन तथा सभी प्रकार के प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 8वीं तारीख तक निदेशालय को निश्चित रूप से लभ्य कराने का निदेश दिया गया था। मुजफ्फरपुर, सारण एवं दरभंगा प्रमंडल तथा जिला सांख्यिकी कार्यालय, प० चम्पारण को छोड़कर प्रायः सभी प्रमंडलों/जिलों से अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त है। परन्तु निर्धारित अवधि का पालन नहीं किया गया है। अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं कराने वाले प्रमंडल/जिला को अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह में लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

**अनुपालन:- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०**

3. सभी पदाधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह के बुधवार एवं गुरुवार को क्षेत्र में रहकर सांख्यिकी कार्यों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया।

**अनुपालन:- निदेशालय/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०**

4. सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को जिला स्तरीय सभी प्रकार के बैठकों में भाग लेने एवं सांख्यिकी कार्यों की समीक्षा करने का निदेश दिया गया। ताकि सांख्यिकी के लंबित प्रतिवेदनों को अद्यतन किया जा सके।

**अनुपालन:- सभी जिला सां०पदा०**

**5. स्थापना :-**

- (i) जिस प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०) कार्यालय एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय में कर्मियों का पदस्थापन शून्य है उक्त कार्यालय में कर्मियों के पदस्थापन पर विचार करने का निदेश दिया गया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि कर्मियों के कमी को दूर करने हेतु तत्काल किसी नजदीक के प्रखंड से प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक को सप्ताह में तीन दिन कार्यालय कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया जाय।

**अनुपालन:- निदेशालय/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी**

- (ii) सभी नवप्रोन्नत सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी एवं संकलक को एक सप्ताह के अन्दर नवपदस्थापित स्थान पर योगदान हेतु विरमित करने का निदेश संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को दिया गया। नवप्रोन्नत सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी एवं संकलक को एक सप्ताह के अन्दर विरमित नहीं करने वाले नियंत्री पदाधिकारियों पर कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया।

**अनुपालन:- संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/स्थापना शाखा, निदेशालय**

**6. बजट :-**

- (i) क) वित्तीय वर्ष 2018-19 के माह-जुलाई 2018 का व्यय विवरणी सभी कार्यालयों से प्राप्त है, इसके लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। परंतु कई जिलों से प्राप्त मासिक व्यय विवरणी के साथ CTMIS से प्राप्त व्यय विवरणी की सत्यापित प्रति संलग्न नहीं रहने के कारण निदेश दिया गया कि मासिक व्यय विवरणी के साथ CTMIS की सत्यापित प्रति अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

**अनुपालन-सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०**

